न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 37/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/278

दायर दिनांक :— 12.04.2023 निर्णय दिनांक :— 25.03.2025

1. उम्मेदसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. उगमसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. रतनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह जाति राजपूत नि. टेकरा तह. बाप जिला फलोदी
2. राणीदानसिंह पुत्र हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह जाति राजपूत नि. टेकरा तह. बाप जिला फलोदी
3. समंदकंवर पत्नी हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह जाति रातपूत नि. टेकरा तह. बाप जिला फलोदी
4. इन्द्रसिंह पुत्र राणीदानसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा सिहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री मदनसिंह भाटी अधि. प्रति. सं. 1 ता 4

बाप, जिला फलोदी (राज.)

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 90 रकबा 206—14 बीघा एवं ग्राम कालूसिंह नगर खसरा नम्बर 91 रकबा 06—03 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 5—07 बीघा, खसरा नम्बर 93 रकबा 39—19 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 49—00 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 152—0 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 की और से श्री मदनसिंह भाटी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा जवाब नहीं पेश करने पर जवाब बंद किया गया। अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी

25/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

संख्या 1 ता 4 साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बंद की गई। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 90 रकबा 206-14 बीघा एवं ग्राम कालूसिंह नगर खसरा नम्बर 91 रकबा 06-03 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 5-07 बीघा, खसरा नम्बर 93 रकबा 39-19 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 49-00 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 152-0 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर की है तत्पश्चात अंतिम बहस सुनी जाकर माफिक विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया गया।

उक्त वाद में न्यायालय हाजा द्वारा जारी निर्णय/अंतिम डिक्री अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में प्रस्तुत की गयी। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा इस न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 15.01.2020 मूल वाद संख्या 86/2015 उम्मेदसिंह व अन्य बनाम रूपसिंह इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि तहसीलदार बाप से विधिवत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुवे दोनों पक्षें की मौजूदगी में स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की सुनवाई के बाद दावे में 03 माह की अवधि में अंतिम डिक्री जारी करे। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय की पालना में तहसीलदार बाप को विभाजन प्रस्ताव मंवगाये जाने हेतु तहरीर जारी की गयी। तहसीलदार बाप ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के आदेश की पालना में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुवे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गयी।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार का कोई ऐजराज लिखित में प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता वादीगण ने प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप मे खसरा नम्बर 90 रकबा 206–14 बीघा एवं ग्राम कालूसिंह नगर खसरा नम्बर 91 रकबा 06–03 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 5–07 बीघा, खसरा नम्बर 93 रकबा 39–19 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 49–00 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 152–0 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	उम्मेदसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन इंडियन बैंक शाखा सिंहड़ा	टेकरा	91 138 / 1 90	0.9389 हैक्टेयर 7.7321 हैक्टेयर 3.6017 हैक्टेयर	बी–4 बी–2 बी–3
2	रतनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन इंडियन बैंक शाखा सिहड़ा	टेकरा	90 / 1	12.2778 हैक्टेयर	बी–3
3	उगमसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन इंडियान बैंक शाखा सिहड़ा	कालसिंह नगर	142 138	3.9659 हैक्टेयर 8.3069 हैक्टेयर	बी–2
4	इन्द्रसिंह पुत्र राणीदानसिंह 3/26, रूपसिंह पुत्र हरदेवसिंह उर्फ हरदानसिंह 1/3, राणीदानसिंह पुत्र हरदेवसिंह उर्फ हरदानसिंह 17/78, समदकंवर पत्नी हरदेवसिंह उर्फ हरदानसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार। रहन इंडियन बैंक शाखा सिहड़ा इन्द्रसिंह, रूपसिंह का हिस्सा	कालसिंह नगर	138 / 2	8.1854 हैक्टेयर	बी–2
5	रूपसिंह पुत्र हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह 1/3, रहन इंडियन बैंक शाखा सिहड़ा। राणीदानसिंह पुत्र हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह 1/3, समदकंवर पत्नी हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार।	टेकरा कालसिंह नगर	90 / 2 142 / 1 92 93	17.3260 हैक्टेयर 3.9659 हैक्टेयर 0.8660 हैक्टेयर 6.4669 हैक्टेयर	बी–3 बी–3 बी–4 बी–4
6	प्रस्तावित रास्ता	टेकरा कलसिंह नगर	90 91 138	0.1780 हैक्टेयर 0.0566 हैक्टेयर 0.3804 हैक्टेयर	प्रस्तावित गै.मु. रास्ता

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. उम्मेदसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. उगमसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. रतनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह जाति राजपूत नि. टेकरा तह. बाप जिला फलोदी
2. राणीदानसिंह पुत्र हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह जाति राजपूत नि. टेकरा तह. बाप जिला फलोदी
3. समंदकंवर पत्नी हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह जाति रातपूत नि. टेकरा तह. बाप जिला फलोदी
4. इन्द्रसिंह पुत्र राणीदानसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. शाखा प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाखा सिहड़ा तहसील बाप जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 37/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में खसरा नम्बर 90 रकबा 206–14 बीघा एवं ग्राम कालूसिंह नगर खसरा नम्बर 91 रकबा 06–03 बीघा, खसरा नम्बर 92 रकबा 5–07 बीघा, खसरा नम्बर 93 रकबा 39–19 बीघा, खसरा नम्बर 142 रकबा 49–00 बीघा, खसरा नम्बर 138 रकबा 152–0 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	उम्मेदसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन इंडियन बैंक शाखा सिंहड़ा	टेकरा	91 138/1 90	0.9389 हैक्टेयर 7.7321 हैक्टेयर 3.6017 हैक्टेयर	बी–4 बी–2 बी–3
2	रतनसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन इंडियन बैंक शाखा सिहड़ा	टेकरा	90/1	12.2778 हैक्टेयर	बी–3
3	उगमसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार रहन इंडियान बैंक शाखा सिहड़ा	कालसिंह नगर	142 138	3.9659 हैक्टेयर 8.3069 हैक्टेयर	बी–2
4	इन्द्रसिंह पुत्र राणीदानसिंह 3/26, रूपसिंह पुत्र हरदेवसिंह उर्फ हरदानसिंह 1/3, राणीदानसिंह पुत्र हरदेवसिंह उर्फ हरदानसिंह 17/78, समदकंवर पत्नी	कालसिंह नगर	138/2	8.1854 हैक्टेयर	बी–2

सहायक कलेक्टर

	...देवसिंह उर्फ हरदानसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार। रहन इंडियन बैंक शाखा सिहड़ा इन्द्रसिंह, रूपसिंह का हिस्सा				
	रूपसिंह पुत्र हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह 1/3, रहन इंडियन बैंक शाखा सिहड़ा। राणीदानसिंह पुत्र हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह 1/3, समदकंवर पत्नी हरदानसिंह उर्फ हरदेवसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. देह खातेदार।	टेकरा कालसिंह नगर	90/2 142/1 92 93	17.3260 हैक्टेयर ~~3.9669 हैक्टेयर~~ 0.8660 हैक्टेयर 6.4669 हैक्टेयर	बी-3 ~~बी-3~~ बी-4 बी-4
6	प्रस्तावित रास्ता	टेकरा कलसिंह नगर	90 91 138	0.1780 हैक्टेयर 0.0566 हैक्टेयर 0.3804 हैक्टेयर	प्रस्तावित गै.मु. रास्ता

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.03.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।